

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 03.08.2019

10-10 हजार के इनामिया दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

RC मिशन थानाक्षेत्र में दो पक्षों के विवाद में हुयी फायरिंग में काँवड श्रद्धालु व अन्य लोग हुये थे घायल,

घटना में प्रयुक्त घटना में प्रयुक्त DBBL गन बरामद ।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर डा0एस0 चन्नप्पा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री दिनेश त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री महेन्द्रपाल सिंह क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में गठित टीम के सदस्य कोतवाली रामचन्द्र मिशन प्रभारी जयशंकर सिंह, उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह, उ0नि0 राजेश बाबू मिश्रा व हे0का0 98 ओमकार सिंह मय फोर्स शाह0 टीम द्वारा दिनांक 03.08.2019 की सुबह सूचना व निशानदेही व सर्विलांस की मदद से 10-10 हजार के पुरस्कार घोषित दो नफर अभियुक्तगणों को घेरा बन्दी कर घटना में प्रयुक्त DBBL बंदूक सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तगण ने अपना नाम क्रमशः 1. सन्तोष सिंह पुत्र हरिभान सिंह नि0 ग्राम रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन 2. सनी राणा पुत्र रामपाल सिंह नि0 न्यू कालोनी जिला अस्पताल के पीछे थाना कोतवाली शाहजहाँपुर। अभियुक्तगणों को बाद आवश्यक कार्यवाही न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

घटना क्रम:-

दिनांक 28.07.19 को शाम 7.00 बजे इशाक मिया की मजार के पास दो पक्षों के बीच मार पीट व फायरिंग के दौरान एक काँवरिया व तीन अन्य लोगों को चोट आई थी। उक्त के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0239/19 धारा 147/148/149/307 ipc व 7 सीएल एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। दौरान पूछताछ अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 28.07.19 को दोपहर बाद अमित उर्फ सुनाक्ष दीक्षित व सन्तोष सिंह व शैलेन्द्र सिंह व सनी राणा भारत ढाबे से गुजर रहे थे तो वहाँ पर गोविन्द सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह मो0 रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर, प्रवेश सिंह पुत्र ध्रुव सिंह निवासी मो0 नई बस्ती रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर व मोन्टी तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निकट इशाक मिया की मजार के सामने मो0 रेती थाना रामचन्द्र मिशन शाह0, सनी राणा पुत्र अज्ञात निवासी मो0 नई बस्ती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर, वहाँ पर खड़े थे जो लोग सन्तोष सिंह के परिचित लग रहे थे इन लोगों ने हम लोगों को रुकवा लिया तथा सन्तोष दत्ता से खिलाने पिलाने को कहा तो सन्तोष दत्ता ने 700 रुपये निकाल कर दे दिये फिर हम चारों तथा वो पाँचों लोग मिलकर अन्दर बैठ गये। गोविन्द अमित उर्फ सुनाक्ष को गाली देने लगा सन्तोष ने बीच बचाव किया तो मोन्टी तिवारी और आशीष तिवारी, हम लोगों को गाली देने लगा इसी बीच बात-बात में ही गोविन्द ने अमित और मुझे थप्पड़ मार दिया और इसके बाद सन्तोष ने हम लोगों को डाट डपट कर अपने साथ ले गया हम लोगों को जाने के बाद वो लोग फिर झगड़े का प्लान बनाकर इशाक मिया की मजार के सामने मोन्टी तिवारी के घर के पास के इकठ्ठा हुये और सुलह की बात के लिये सन्तोष से बात किया सन्तोष ने बहादुर लाल की दुनाली बन्दूक और लाईसेन्स ले लिया लाईसेन्स एक लडके को दे दिया जो सन्तोष का जानने वाला था जिसके पास काली अपाची थी। सन्तोष भी सलिरयो कार यूपी 27 AA 0702 में अमित उर्फ सुनाक्ष दीक्षित व सन्तोष बैठकर मोन्टी तिवारी सुलह करने की बात करने को पहुँच गये अमित उर्फ सुनाक्ष गाड़ी चला रहा था वहाँ पर गोविन्द सिंह, प्रवेश सिंह, मोन्टी तिवारी, आशीष तिवारी सनी बाबा मौजूद थे। सन्तोष व हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि गोविन्द नशे में होकर गाली गलौज करने लगा और प्रवेश सिंह व आशीष तिवारी ने 315 बोर के तमंचे से जान से मारने की नियत से हम लोगों पर फायर झौक दिया। संजोग बस किरस्मत से बच गये हम लोग बाल बाल बच गये। गोली उधर से गुजर रहे काविरिया को लग गयी। फिर हम दोनों पक्षों में मार पीट शरु हो गयी। सन्तोष ने दोनाली बन्दूक से फायर किया और हम लोग संख्या में कम थे इस लिये हम लोग मौके से कार व अस्लाह लेकर जान बचाकर भाग गये और आगे पुलिस ने पीछा किया तो गाड़ी को छोड़कर भाग गये फिर आगे सन्तोष ने दूसरी कार मंगवाई और हम लोग लखनऊ भाग गये। बन्दूक सन्तोष के पास है और हम लोग वकील को पैसा देकर जमानत कराने के लिये आये थे

तो आप लोगो ने पकड लिया झगडा दोनो तरफ से हुआ तथा फायरिंग भी दोनो तरफ से हुई मोन्टी तिवारी ने भी दीवार की आड लेकर जान से मारने की नियत से तमंचे से हम लोगो पर फायर झौक किया था। गोविन्द सिंह , प्रवेश सिंह, आशीष तिवारी , मोन्टी तिवारी ,सनी राणा व उनके अन्य साथियो ने योजना बद्ध तरीके से हम लोगो पर जान लेवा हमला किया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-

1. सन्तोष सिंह पुत्र हरिभान सिंह नि० ग्राम रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुरा
2. सनी राणा पुत्र रामपाल सिंह नि० न्यू कालोनी जिला अस्पताल के पीछे थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुरा

बरामदगी का विवरण –

- 1 एक DBBL बंदूक घटना मे प्रयुक्त।

आपराधिक इतिहास:-

1. सन्तोष सिंह पुत्र हरिभान सिंह नि० ग्राम रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुरा

- 1-मु०अ०सं० 259/07 धारा 147/148/323/504/506 भादवि व 2/3 गैंग० एक्ट
- 2-मु० अ०सं० 395/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
- 3-मु० अ०सं० 1205/11 धारा 147/148/279/337/323/504/506 भादवि व 7 क्रि०लॉ०एक्ट व 3(1) SC/ST एक्ट।
- 4-मु०अ०सं० 211/12 धारा 147/148/452/506/325 भादवि
- 5-मु०अ०सं० 158/13 धारा 381/307/323/504/506 भादवि
- 6-मु०अ०सं० 1364/16 धारा 147/148/149/323/307 भादवि
- 7-मु०अ०सं० 812/17 धारा 307/504/506 भादवि
- 8- मु०अ०सं० 498/18 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट
- 9-मु०अ०सं० 239/19 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 10- मु०अ०स 241/19 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 11- मु०अ०सं० 243/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट।

2. सनी राणा पुत्र रामपाल सिंह नि० न्यू कालोनी जिला अस्पताल के पीछे थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुरा

- 1-मु०अ०सं० 239/19 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 2- मु०अ०स 241/19 धारा 147/148/149/307 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री जयशंकर सिंह थाना प्रभारी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाह०
2. उ०नि० श्री क्रान्तिवीर सिंह प्रभारी CIW टीम
3. उ०नि० दिलीप कुमार सिंह थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाह०
- 4-मु०अ० जयप्रकाश सिंह CIW टीम
5. उ०नि० राजेश बाबू मिश्रा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
- 6-कां० विजय प्रतार CIW टीम
7. हे०का० ओमकार सिंह थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
- 8 कां० भानूप्रताप सिंह CIW टीम
- 9 कां० मोहित शर्मा CIW टीम
- 10 कां० संजीव कुमार सर्विलांस टीम
- 11 कां० अजय चौधरी सर्विलांस टीम